अति तत्काल

सं.जी-25020/1/2011/सर्कुलर-3 एंड 11/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/1305

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक
चतुर्थ तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 21 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2010-11 के लिए वित्त लेखे के विवरण सं. 3 और 11 तैयार किया जाना।

वर्ष 2010-11 के लिए वित्त लेखे के विवरण सं. 3 और 11 तैयार किए जाने के लिए विस्तृत अनुदेश और जिन प्ररूपों में सूचना प्रस्तुत की जानी है वे प्ररूप संलग्न हैं।

2. सभी मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों/उप लेखा नियंत्रकों और साथ ही संघ राज्य क्षेत्रों के लेखे भेजने वाले महालेखाकारों से अनुरोध है कि वे नीचे दर्शाई गई निर्धारित तारीखों तक सामग्री भेज दें:

विवरण सं. 3	**06.06.2011**
विवरण सं. 11	**06.06.2011**

3. **प्रत्येक विवरण की दो प्रतियां एक साथ प्रत्यायित लेखा परीक्षा अधिकारी को भेज दी जाएं।**

4. विगत में यह देखा गया है कि इस कार्यालय में जो विवरण प्राप्त होते हैं उनमें प्राय: पूरी सूचना नहीं होती और वे खंडों में प्राप्त होते हैं। अधूरी सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा तैयार किए गए समेकित विवरण पर न केवल लेखा परीक्षा की प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त होती हैं बल्कि इन्हें अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा से हमारे विवरणों की निकासी में भी विलंब होता है। अत:, यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग के अधीन कार्यरत इकाइयों के संबंध में पूर्ण सूचना एक बार में ऊपर दी गई निर्धारित तारीखों तक इस कार्यालय को भेज दी जाए। **यदि कोई सूचना न भेजी जानी हो तो 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए।**

5. विवरणों को पूरी तरह से संलग्न अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाए।

6. विवरण सं. 3 और 11 के लिए सामग्री प्रस्तुत किए जाने संबंधी जांच सूची संलग्न है। इस पर प्रधान लेखा कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और लेखा संगठन प्रमुख (मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक आदि) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसे विवरणों के साथ इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए।

7. वित्त लेखों को अंतिम रूप देने का कार्य पूर्णतया समयबद्ध प्रक्रिया है अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि इन विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित तारीखों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

(एस.डी. शर्मा)
सहायक लेखा नियंत्रक

अनुलग्नकः यथोपरि

सेवा में

1. सभी मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक आदि को अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

विवरण संख्याः- 3 एवं 11 को तैयार करने के लिए विस्तृत अनुदेश

विवरण संख्या 3 :-

1. विवरण सं. 3 के पैरा 4,5(क), 5 (ख) और 5(ग) के समेकन संबंधी सूचना संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार **लाख रूपयों** में प्रस्तुत की जाए।

2. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पैरा 4, "सबसे पहले की अवधि जिससे कर्ज संबंधित हैं" में और पैरा 5(क) और 5(ग) "सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित हैं" में बिना किसी ठोस कारण के परिवर्तन न किया जाए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो इसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया जाए ताकि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों से बचा जा सके। पैरा 4,5(क), और 5(ग) का जोड़ अनिवार्य रूप से दिया जाए।

3. विगत में प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखने में आया है कि पैरा 4 में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए कर्जों के निबंधन और शर्तों को बहुत वर्षों तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस सबंध में कृपया निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों को बताया जाए। **इस संबंध में निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के द्वारा लोक लेखा समिति के संज्ञान में लाया गया है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।**

विवरण सं. 11:-

प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा सिविल लेखा नियम प्रस्तिका के पैरा 10.11 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "निवेश रजिस्टर" बनाए जाने की आवश्यकता है। वित्त लेखों से संबंधित सामग्री की स्थानीय लेखा परीक्षा करते समय इन्हें लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाए।

1. विवरण संलग्न प्रोफार्मा में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए सभी निवेश अनिवार्य रूप से मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष और साथ ही अनुदान संख्या का संदर्भ देते हुए विवरण में दर्शाए जाने चाहिए।

3. विवरण के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि वर्ष 2010-11 के दौरान दर्शाए गए सभी निवेशों का मिलान विनियोग लेखों में दर्शाए गए निवेशों के साथ कर लिया गया है। यह प्रमाणपत्र यथोचित सत्यापन के बाद दिया जाना चाहिए। विगत में यह देखा गया है कि विवरण में कुछ निवेश शामिल नहीं किए गए थे जिन्हें बाद में पत्राचार के माध्यम से शामिल किया गया था। विवरण के लिए सामग्री तभी भेजी जाए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें पूरी सूचना शामिल कर ली गई है।

4. शेयरों की संख्या और शेयरों का अंकित मूल्य (कालम 5 और 6) दर्ज किया जाए और जिन मामलों में निवेश की राशि कुल शेयरों के मूल्य के साथ मेल न खाती हो उनमें अंतर के कारणों का विवरण में दर्शाया जाए। शेयरों के सभी विनिवेशों को पाद टिप्पणी में विधिवत तथ्य का उल्लेख करते हुए संबंधित कालमों में दर्शाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है तो उन्हें उपयुक्त रूप से पाद टिप्पणी में दर्शाया जाना चाहिए।

5. लाभांश की घोषणा न किए जाने के कारणों को सूचित कर दिया जाए। यदि प्रतिष्ठान को हानि हो रही है तो 31.03.2011 के अंत तक हुई संचयी हानि को सूचित कर दिया जाए। **विगत में यह देखा गया है कि घोषित लाभांश की संचयी हानि/राशि संबंधी पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, समितियों आदि के साथ पहले से ही आवश्यक पत्राचार कर लिया जाए ताकि इस कार्यालय को नियम तारीख तक विवरण प्रस्तुत करते समय पूरे ब्योरे दिए जा सकें।**

6. कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता (कालम 8) और कालम 9 में लाभांश/ब्याज आदि की राशि के संबंध में सूचना अनिवार्य रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यदि कालम 9 शून्य है तो इसका कारण विवरण में दर्शाया जाए।

7. कंपनियों/निगमों के स्थित होने के स्थान अवश्य दर्शाए जाएं।

8. कंपनियों/निगमों के नाम पूरे रूप में दर्शाए जाएं न कि संक्षिप्त रूप में।

9. **प्रवर्तनशील इकाइयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं संबंधी सूचना अलग से दर्शाई जाए।**

10. बाद में कंपनियों/निगमों में परिवर्तित कर दिए गए सरकारी विभागों के मामले में आपका ध्यान सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 5.15.2 की ओर आकर्षित कियां जाता है। उसमें यह निर्धारित किया गया है कि परिवर्तन से पहले ऐसे विभागीय उपक्रम से संबंधित विभिन्न पूंजीगत व्यय शीर्षों के अंतर्गत हुए प्रगामी व्यय को उपक्रम की स्थिति में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन से पूर्व हुआ पूंजीगत व्यय कंपनी/निगम के निवेशों के लेखे में शामिल कर दिया गया है।

11. कंपनियों/निगमों से संबंधित आंकड़े अनिवार्य रूप से उनके वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए।

12. शेयरों के सभी विनिवेश को संबंधित कालम में दर्शाया जाना चाहिए और तथ्य का पाद टिप्पणी में विधिवत उल्लेख किया जाना चाहिए। पूंजीगत शीर्ष जिसमें वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में विनिवेश का प्रभाव दिया जाना है को भी अभ्युक्ति कालम में दर्शाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विनिवेश का प्रभाव वास्तव में विवरण संख्या 10 में संबंधित पूंजीगत लेखा शीर्ष में दिया गया है।

13. यदि कर्जों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है तो इसका उल्लेख पाद टिप्पणी में किया जाना चाहिए। संबंधित कर्ज और पूंजीगत मुख्य, लघु लेखा शीर्ष को अभ्युक्ति कालम में दर्शाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के प्रभाव वास्तव में विवरण सं. 10 और 13 में दिए गए हैं।

14. विवरण में वर्ष के दौरान किए गए निवेश/विनिवेश/कर्ज के इक्विटी में परिवर्तन को अलग से दर्शाया जाए।

विवरण सं. 3 तथा 11 को प्रस्तुत करने के लिए जांच-सूची

(1) विवरण सं. 3 तथा 11 के लिए सामग्री की दो प्रतियां संलग्न है।

(2) विवरणियों 3 और 11 को तैयार करने के लिए इस का.ज्ञा. सं. सं.जी-25020/1/2011/सर्कुलर-3 तथा 11/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/ दिनांक मार्च, 2011 में शामिल विस्तृत अनुदेशों का विवरण सं. 3 और 11 को तैयार करने के लिए पूरी तरह से पालन किया गया है।

विवरण सं. 3

(i) राशियां दो दशमलवों के साथ **लाख रुपयों** में प्रस्तुत की गई हैं।

(ii) दिनांक **31.03.2011** की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण **31.03.2011** की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के मूल से कम नहीं है।

(iii) पिछले वर्ष की तुलना में मूलधन और ब्याज की बकाया राशि कम दर्शाने के कारण प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(iv) पैरा 4 में सबसे पहले की अवधि जिससे कर्ज संबंधित है और पैरा 5(क) और पैरा 5 (ग) में सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है का पिछले वर्ष के विवरण से सत्यापन कर लिया गया है। यदि अवधि में परिवर्तन है तो विवरण के अग्रेषण पत्र/पाद टिप्पणी में इसके कारणों का उल्लेख किया जाए। यदि अवधि बदलती है तो उसके कारण विवरण के अग्रेषण पत्र/पाद टिप्पणी में दिए गए हैं।

विवरण सं. 11

(i) कालम 7 और 9 में राशि हजार रुपयों में प्रस्तुत की गई है।

(ii) **कंपनियों के सामने दर्शाया गया कुल लाभांश केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए लाभांश से मेल खाता है।**

(iii) **वर्ष के दौरान किए गए निवेश केंद्रीय लेनदेन विवरण और साथ ही विवरण सं. 10 के लिए सामग्री दर्ज की गई राशि से मेल खाते हैं।**

(iv) "शून्य" लाभांश के कारण प्रस्तुत किए गए हैं और यदि कंपनियां/समितियां घाटा उठा रही हैं तो **मार्च, 2011** तक की संचयी हानि प्रस्तुत की गई है।

(v) इस आशय का प्रमाण पत्र कि विवरण सं. 11 में यथा प्रस्तुत **2010-11** के दौरान किए गए निवेश का मिलान विनियोग लेखे के आंकड़ों से कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
प्रधान लेखा कार्यालय

प्रतिहस्ताक्षर

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
विवरण सं. 3

पैरा 4.

सरकारी स्वामित्व की कंपनियों/निगमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए निम्नलिखित ऋणों के निबंधन एवं शर्तें तय नहीं की गई हैं।

(लाख रुपयों में)

प्रतिष्ठान का नाम जिसको ऋण दिया गया था	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	सबसे पहले जब ऋण दिया गया
1	2	3	4
कुल			

पैरा 5 (क)

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की पुनर्वास ऋणों से भिन्न ऋण तथा अग्रिम, जिनकी **2010-2011** के अंत तक कुल बकाया ऋणों के साथ मूलधन तथा ब्याज की वसूली बकाया रही, का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का नाम	**31 मार्च, 2011** की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया राशि संबंधित है	**31.3.2011** की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5
कुल				

पैरा 5(ख)

मूलधन तथा ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए वर्ष **2010-11** के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकृत नए ऋणों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रुपयों में)

जिसे ऋण दिया गया था	वह वर्ष जिसमें मूलधन और ब्याज की राशि देय थी	पहले की बकाया राशि जिनके लिए नए ऋण दिए गए		नए ऋण की राशि	प्रयोजन
		मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5	6
कुल					

पैरा 5 (ग)

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से भिन्न सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए ऋण तथा अग्रिम, जिनकी 2010-11 के अंत तक कुल बकाया ऋणों के साथ मूलधन तथा ब्याज की राशि बकाया रही का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख रुपयों में)

जिसे ऋण दिया गया था	**31 मार्च, 2011** की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया राशि संबंधित है	**31.3.2011** की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5
कुल				

विवरण सं. 11

वर्ष 2010-11 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सरकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश दर्शाने वाला विवरण।

	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का ब्यौरा			**2010-11** के अंत तक निवेश की गई कुल राशि	कुल प्रदत्त पूंजी की तुलना में सरकार के निवेश की प्रतिशतता	वर्ष **2010-11** के दौरान प्राप्त हुई और सरकार को जमा किए गए लाभांश/ब्याज की राशि(**हजार रुपयों में**)	अभ्युक्तियां
			शेयरों के प्रकार	संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य(रू.)				
.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
का.	**निर्माणाधीन/विस्ताराधीन उद्यम**								
1	संयुक्त पूंजी कंपनियां-								
खा.	**चालू उद्यम**								
I	**सांविधिक निगम**								
II	**संयुक्त पूंजी कंपनियां**								
(क)	सरकारी कंपनियां/निगम								

(ख).	अन्य कंपनियां								
II I	अंतर्राष्ट्रीय निकाय								
IV	राज्य सहकारी बैंक/ अन्य बैंक								
v	सहकारी समितियां								
	कुल								